राजस्थान सरकार

श्री बृज सुन्दर शर्मा

वित्त मंत्री

का

बजट भाषण

1984-85

गुरुवार, 15 मार्च, 1984

श्रीमन्

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1984-85 के बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. माननीय सदस्यों को यह विदित है कि 4 वर्ष से निरन्तर सूखे की कठिन स्थिति बनी रहने के पश्चात् राज्य में इस वर्ष समय पर अच्छी वर्षा होने से हमें कुछ राहत मिली है। तथापि वर्ष 1982-83 के सूखे के कारण हमें इस वर्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता से कहीं अधिक व्यय करना पड़ा। भारत सरकार ने सूखा सहायता व्यय के लिये 36.64 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की थी। इस अपर्याप्त व्यय सीमा में ही सारे राहत कार्य सीमित रखे जा सकें यह संभव नहीं था। अतः राज्य सरकार ने सूखा सहायता के लिये 61.66 करोड़ रुपये का व्यय स्वीकृत किया है।

3. माननीय सदस्यों को आर्थिक समीक्षा पृथक् से वितरित की जा रही है। इसमें गत एक वर्ष में हुई प्रगति की विस्तृत समीक्षा है। इस समय मैं आर्थिक स्थिति के केवल उन पहलुओं की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिनका सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे बजट पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

4. राज्य आय में कृषि उत्पादन का योगदान महत्त्वपूर्ण है। गत वर्ष के 83.06 लाख टन खाद्यान्नों की तुलना में इस वर्ष 99.96 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन होने का अनुमान है। यह वृद्धि अपने आप में अभूतपूर्व है। इसी प्रकार तिलहनों के उत्पादन में 6.29 लाख टन के उत्पादन के मुकाबले इस वर्ष 7.95 लाख टन होने का अनुमान है। कपास का उत्पादन भी 5.51 लाख गांठों से बढ़कर 5.95 लाख गांठें हो जायेगा। गन्ने का उत्पादन 14.29 लाख टन से बढ़कर 17.15 लाख टन होने का अनुमान है।

5. औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार हुआ है। वर्ष 1983 में पी वी सी रेसिन के उत्पादन में 362.21 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन भी गत वर्ष के 3919 मैट्रिक टन से बढ़कर 16631 मैट्रिक टन हो गया। जिंक इनगोट्स के उत्पादन में 38.08 प्रतिशत, सुपर फास्फेट के उत्पादन में 31.53 प्रतिशत तथा सीमेन्ट के उत्पादन में 25.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त चीनी के उत्पादन में 6.69 प्रतिशत, स्पिरिट के उत्पादन में 53.57 प्रतिशत तथा सूती धागे के उत्पादन में 5.85 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सल्फ्यूरिक एसिड, टेलीविजन सैटों तथा तांबे के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है।

6. वर्ष 1983 में राज्य के थोक मूल्य सूचकांक में 8.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि हमारे लिये चिन्ता का विषय है। यद्यपि यह वृद्धि राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप ही है परन्तु हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके इसके प्रभाव से सामान्य जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। वर्ष 1983-84 में अब तक हमने 374 स्थिर एवं 7 भ्रमणशील दुकानें और खोली हैं। राज्य में इस समय उचित मूल्य की 12636 दुकानें कार्यरत हैं।

7. वर्ष 1982-83 में प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 1574 रुपये होने का अनुमान है जो कि वर्ष 1981-82 की तुलना में 9.23 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1970-71 के स्थिर मूल्यों पर वर्ष 1981-82 में 575 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी जो वर्ष 1982-83 में बढ़कर 597 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई। यह वृद्धि 3.83 प्रतिशत है।

8. गत वर्ष राज्य में रहे बिजली के संकट से माननीय सदस्य परिचित हैं। इस वर्ष राज्य में बिजली की उपलब्धि की स्थिति में सुधार हुआ है। वर्ष 1982-83 में राज्य की सकल संस्थापित क्षमता 1401 मेगावाट थी जो जनवरी, 1984 के अन्त में बढ़कर 1707.45 मेगावाट हो गई। इस वर्ष अप्रेल, 1983 से जनवरी, 1984 तक विद्युत् की उपलब्धि 4545.4 एम. यू. रही जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 3762.84 एम. यू. बिजली उपलब्ध हुई थी। कोटा ताप विद्युतगृह की दोनों इकाइयों में विद्युत् उपलब्धि प्रारम्भ हो गई है तथा उत्तर प्रदेश स्थित सिंगरोली उच्चतापीय परियोजना की चार इकाइयों के चालू हो जाने से राज्य को उसके आवंटित हिस्से के अनुसार बिजली उपलब्ध हो रही है।

9. राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार में भी प्रगति हुई है। इस वर्ष माही परियोजना से सिंचाई प्रारम्भ कर दी गई है। राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम चरण का काम भी लगभग पूरा हो गया है। इस परियोजना के द्वितीय चरण में बाड़मेर जिले के गडरा रोड कस्बे तक का एक लाख हैक्टेयर फ्लो क्षेत्र व 5 लिफ्ट योजनाओं का 60 मीटर लिफ्ट तक 2.90 लाख हैक्टेयर लिफ्ट क्षेत्र और शामिल करने का निर्णय वर्ष 1983-84 में लिया गया है। जनवरी, 1984 तक नहर की 182 किलो मीटर लम्बाई को पूर्ण कर जैसलमेर जिले में पानी पहुंचा दिया गया है। वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से वर्ष 1983-84 के अन्त तक 1.51 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होने का अनुमान है।

10. आधारभूत ढांचे के ये ही मुख्य क्षेत्र हैं जो अर्थ व्यवस्था में प्रगति लाते हैं तथा उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। माननीय सदस्यों को इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि हम इस दिशा में निरन्तर सजग हैं।

11. छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 2025 करोड़ रुपये है। प्रथम तीन वर्षों में 1005.15 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ है। वर्ष 1983-84 का मूल योजना व्यय 416.74 करोड़ रुपये था।

12. वर्ष 1984-85 में 430.38 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है। इसके लिए 264.93 करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध

हैं। शेष 165.45 करोड़ रुपये की व्यवस्था विशेष केन्द्रीय सहायता एवं केन्द्रीय करों में राज्य को मिलने वाले अंश में संभावित वृद्धि द्वारा की जावेगी ।

13. हमें छठी पंचवर्षीय योजना काल में 750.70 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करनी थी । अब तक किये गये प्रयत्नों से छठी पंचवर्षीय योजना काल में 729.89 करोड़ रुपये की व्यवस्था होने का अनुमान है जो कि उक्त निर्धारित लक्ष्य की 97.23 प्रतिशत उपलब्धि है।

14. वर्ष 1984-85 की योजना में हमने उन कार्यक्रमों तथा योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी है जिनके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को राहत मिले । इन कार्यक्रमों से उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन होने के साथ-साथ अल्प आय वाले वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे । विकास के इन कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय से राज्य में गरीबी को कम करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी । बुनियादी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा जिससे कि समाज के निर्बल वर्गों के जीवनयापन स्तर में वृद्धि हो सके ।

वार्षिक योजना 1984-85 :

15. हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप 430.38 करोड़ रुपये के योजना व्यय में से सिंचाई एवं विद्युत् पर 206.08 करोड़ रुपये व्यय होंगे । सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर 99.22 करोड़ रुपये व्यय होंगे जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.58 प्रतिशत अधिक है । कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं पर 77.13 करोड़ रुपये तथा परिवहन एवं संचार सेवाओं पर 20.65 करोड़ रुपये व्यय होने का प्रावधान है । उद्योग एवं खनिज क्षेत्र में 18.75 करोड़ रुपये तथा सहकारिता में 6 करोड़ रुपये व्यय होंगे । शेष 2.55 करोड़ रुपये की राशि अन्य मदों में व्यय होगी ।

16. वर्ष 1984-85 में लिये जाने वाले मुख्य मुख्य विकास कार्यक्रमों की ओर अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

बीस सूत्री कार्यक्रम :

17. माननीय सदस्यों को यह विदित है कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। वर्ष 1983-84 के संशोधित योजना व्यय में इन कार्यक्रमों के लिये लगभग 271 करोड़ रुपये का प्रावधान है । वर्ष 1984-85 में इन कार्यक्रमों पर होने वाला व्यय 300 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो कि गत वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है ।

18. मुझे माननीय सदस्यों को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम को इस वर्ष और भी अधिक गति से चलाया गया है और 20 सूत्रों में से 11 सूत्रों में हमने 100 से 200 फीसदी तक तथा 7 सूत्रों में 82 से 94 फीसदी लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं। जनवरी, 1984 तक के योजना आयोग के मूल्यांकन के आधार पर राजस्थान सारे देश में दूसरे स्थान पर रहा है ।

शिक्षा :

19. वर्ष 1984-85 में शिक्षा पर कुल मिलाकर 44.99 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा । राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से 1000 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे । 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा । इनमें 100 प्राथमिक तथा 60 उच्च प्राथमिक विद्यालय जन जाति क्षेत्र में होंगे । प्राथमिक शिक्षा में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के 3000 अतिरिक्त पद उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। 7600 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी खोलने का प्रस्ताव है । इनमें 5000 छात्राओं के लिये तथा 2600 छात्रों के लिये होंगे ।

20. माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु 200 नये माध्यमिक विद्यालय खोले जायेंगे जिनमें 20 विद्यालय जन जाति क्षेत्र में होंगे। 400 नये विषय/वर्ग भी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खोले जायेंगे।

21. राज्य के 38 विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने की स्वीकृति दी जा चुकी है जो कि 1984-85 के शैक्षिक सत्र में शुरू हो जायेगी। अल्पसंख्यक भाषा के अध्यापकों के एक सौ अतिरिक्त पद भी सृजित किये जा रहे हैं तथा उन सभी छात्राओं को जो बी. ए. में उर्दू ऐच्छिक विषय लेना चाहती हैं, एक सौ रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। एम. ए. में उर्दू ऐच्छिक विषय लेने वाले छात्र/छात्राओं को जो बी. ए. में उर्दू विषय लेकर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हों, 150 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।

22. महाविद्यालयों में जिस अनुपात में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ है उसे दृष्टिगत रखते हुए वहां आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपये और व्यय करने का प्रस्ताव है। इस राशि से अतिरिक्त कमरों के निर्माण तथा प्रयोगशालाओं को आवश्यक उपकरण आदि उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार नये विषय/वर्ग भी खोले जायेंगे।

23. वर्ष 1983-84 में भीलवाड़ा में एक पोलीटैक्नीक की स्थापना का प्रस्ताव था। अब टैक्सटाइल उद्योग में प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्ष 1984-85 में भीलवाड़ा में पोलीटैक्नीक की बजाय टैक्सटाइल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

24. राज्य में बृज भाषा के विकास हेतु वर्ष 1984-85 में बृज भाषा अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव है। राजस्थानी अकादमी के प्रावधान को भी 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

चिकित्सा :

25. वर्ष 1984-85 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 18.17 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान है। इससे चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के निम्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं :–

(1) 5 जनरल नर्सिंग के 30 से 50 सीट वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

(2) सीकर नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की वर्तमान सीटों की संख्या में 35 सीटों की वृद्धि।

(3) 3 सेटेलाइट अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रारंभिक कार्यवाही।

(4) जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, नागौर एवं जालौर के अस्पतालों को उच्च श्रेणी में क्रमोन्नत करना।

(5) 150 उप केन्द्रों की क्रमोन्नति।

(6) 12 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना।

(7) 21 उप खण्डीय अस्पतालों की क्रमोन्नति।

(8) 50 ग्रामीण डिस्पेन्सरियों की सहायक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नति।

(9) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत 500 नये उप केन्द्रों की स्थापना।

26. जोधपुर में नवीन शिशु अस्पताल स्थापित करने हेतु तथा नर्सिंग छात्रावास के भवन निर्माण हेतु प्रावधान प्रस्तावित है। अजमेर में भवन जीर्णोद्धार एवं पूर्व में निर्मित शल्य चिकित्सा कक्ष को वातानुकूलित करने का प्रावधान है।

27. आयुर्वेदिक चिकित्सा को सर्वसाधारण को सुलभ बनाने की दृष्टि से वर्ष 1984-85 में 200 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।

जल प्रदाय :

28. वर्ष 1984-85 में पेय जल योजना के लिये 23.60 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है। इसमें शहरी जल प्रदाय योजना पर 12.60 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर 11.00 करोड़ रुपये व्यय होंगे। भारत सरकार से ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के लिये मिलने वाली राशि इस प्रावधान में शामिल नहीं है। ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर होने वाले व्यय में से कम से कम 3 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति तथा जन जाति के एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय किया जायेगा। इस वर्ष के अन्त तक 17490 समस्याग्रस्त गांवों में पेय जल की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी।

29. उन गांवों से जहां कि हैण्ड पम्प योजना से पेय जल उपलब्ध करा दिया गया है, यह मांग आई है कि मुख्य गांवों के मजरों एवं ढाणियों को भी पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। अतः यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे गांवों में जहां कि हैण्ड पम्प योजना सम्भव है वहां उन मजरों एवं ढाणियों में भी जिनकी आबादी 250 से अधिक है, अतिरिक्त हैण्ड पम्प की सुविधा दी जायेगी। उन सभी समस्याग्रस्त गांवों में जहां हैण्ड पम्प योजना द्वारा पेय जल उपलब्ध कराया जाना संभव है वहां वर्ष 1984-85 में हैण्ड पम्प की सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी। साथ ही उन सभी गांवों में जिनमें यह सुविधा उपलब्ध करादी गई है, हमारा यह प्रयत्न होगा कि अनुसूचित जाति/जन जाति बस्तियों में कम से कम एक हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जाय।

30. उन शहरी जल प्रदाय योजनाओं में जहां पेय जल की उपलब्धि 10 गैलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम है वर्ष 1984-85 में जल प्रदाय योजनाओं के पुनर्गठन की स्वीकृति देने में प्राथमिकता दी जायेगी। अनुसूचित जाति/जन जाति की बस्तियों तथा कच्ची बस्तियों में 500 की आबादी पर एक सार्वजनिक नल की व्यवस्था की जाती है। इस माप दण्ड के आधार पर वर्ष 1984-85 में ऐसी सभी बस्तियों में सार्वजनिक नल की सुविधा उपलब्ध कराने का हम प्रयत्न करेंगे।

31. जोधपुर शहर तथा रास्ते में पड़ने वाले अन्य ग्रामों के लिये राजस्थान नहर से पेय जल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 38.5 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत करदी गई है। वर्ष 1984-85 में इसके लिये 2 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। भारत सरकार के सुरक्षा मंत्रालय से भी हम इस योजना में भाग लेने के लिये अनुरोध कर रहे हैं।

विद्युत् :

32. वर्ष 1984-85 में विद्युत् हेतु 117.08 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

33. आगामी वर्ष में माही बांध पर विद्युत् गृह प्रथम की पहली इकाई दिसम्बर, 1984 तक विद्युत् उत्पादन प्रारंभ कर देगी

जिससे राज्य की सकल संस्थापित क्षमता में 25 मेगावाट की वृद्धि होगी। द्वितीय इकाई द्वारा जून, 1985 तक उत्पादन प्रारंभ करने का अनुमान है। रामगढ़, जिला जैसलमेर में गैस पर आधारित तापीय विद्युत् परियोजना पर वर्ष 1984-85 में कार्य आरंभ होगा। पलाना लिग्नाइट ताप विद्युत् परियोजना के लिये भी 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

34. वर्ष 1984-85 में उच्च प्रसारण लाइनों हेतु 24.93 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। जयपुर में 400 के. वी. ए. ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना भी की जायेगी। इससे सिंगरोली से बिजली प्राप्त करने की क्षमता बढ़ेगी।

35. उप-प्रसारण एवं वितरण व ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 31.35 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। अब तक 18503 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्ष 1984-85 में 1100 ग्रामों तथा 11000 कुओं के विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है।

सिंचाई :

36. राज्य में सिंचाई के विकास के लिये वर्ष 1984-85 में 92.95 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है। इसमें 12.04 करोड़ रुपये बहुद्देशीय, 52.56 करोड़ रुपये वृहद् तथा 14.35 करोड़ रुपये मध्यम परियोजनाओं पर व्यय होंगे। सिंचाई योजनाओं के आधुनिकीकरण के लिये 6 करोड़ रुपये तथा लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 6.50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

37. निम्न नई सिंचाई परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य किया जायेगा:--

(1) बीसलपुर, जिला टोंक
(2) गरड़दा, जिला बून्दी
(3) कानोता, जिला जयपुर
(4) सुकली सेलवाड़ा, जिला सिरोही
(5) बान्दी सेदरा, जिला जालौर
(6) चंवली, जिला झालावाड़

38. दक्षिणी राजस्थान की नदियों के पानी का अधिकाधिक उपयोग करने की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर तकनीकी सर्वेक्षण की व्यवस्था की जायेगी। वर्ष 1983-84 में गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण आरम्भ किया गया है जिसके लिए वर्ष 1984-85 में 4 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

सड़कें :

39. राज्य के आर्थिक विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1984-85 में सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर 14 करोड़ रुपये का योजना व्यय करने का प्रस्ताव है। राज्य में उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं समन्वित उपयोग करने की दृष्टि से सड़क विकास का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इस योजना के द्वारा समस्त पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव है। 1971 की जनगणना के आधार पर एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जायेगा। महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय सड़कों के अपूर्ण हिस्सों को भी पूरा किया जावेगा। वर्ष 1984-85 में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होने वाली धनराशि से 2500 किलो मीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा।

उद्योग :

40. राज्य में औद्योगीकरण के लिये आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कार्यक्रम प्रगति पर है। राज्य में प्रवासी भारतीयों के माध्यम से औद्योगिक

विनियोजन बढ़ाने के प्रयत्नों की समय समय पर समीक्षा किये जाने के लिए एक राज्यस्तरीय समिति की स्थापना की गई है। अभी हाल ही में प्रवासी भारतीयों ने राज्य में एक घड़ी के डायल बनाने के कारखाने एवं एक सीमेन्ट प्लान्ट की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।

41. माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि इस वर्ष 15 अगस्त, 1983 को हमारी प्रधान मंत्री जी ने शिक्षित बेरोजगार युवकों हेतु स्वनियोजन योजना की घोषणा की थी। वर्ष 1983-84 में इस योजना में 15 हजार युवकों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। अब तक 14512 प्रार्थना-पत्र बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु भेजे जा चुके हैं। इसमें से 2131 प्रार्थियों को बैंकों द्वारा 3.23 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। वर्ष 1984-85 में भी 15 हजार शिक्षित बेरोजगारों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य है। हमारा यह प्रयत्न रहा है कि इस योजना का लाभ अधिकाधिक गरीब और जरूरतमंद तबके को मिले। इस योजना की क्रियान्विति में जो प्रारम्भिक कठिनाइयां आई हैं उनको देखते हुए गरीब और जरूरतमंद तबके के व्यक्तियों को इस योजना का समुचित लाभ मिले, इसके लिए निश्चित मापदण्ड निर्धारित किये जायेंगे।

42. हाथ करघा विकास कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाथ करघा विकास निगम की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 1984-85 में 3.19 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य है जिससे 20 हजार व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे।

43. राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस वर्ष 55 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1984-85 में 60 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत करने का कार्यक्रम है।

कृषि उत्पादन :

44. वर्ष 1984-85 में खरीफ तथा रबी में क्रमश: 123.45 लाख हैक्टेयर तथा 56.55 लाख हैक्टेयर भूमि में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 110 लाख टन तथा तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य 10 लाख टन रखा गया है। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने की दृष्टि से फतेहपुर में एक एग्रो क्लाइ-मेटिक रिसर्च स्टेशन स्थापित किया जा रहा है।

पशुपालन :

45. पश्चिमी राजस्थान की अर्थ व्यवस्था में वहां की अधिकांश जनता के लिये जीविकोपार्जन का मुख्य साधन होने के कारण पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 1984-85 की वार्षिक योजना में पशुपालन पर 3.05 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। पशुओं के लिए उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 200 नये पशु औषधालय खोलना प्रस्तावित है।

सहकारिता :

46. सहकारिता के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 6 करोड़ रुपये का योजना व्यय होगा। सहकारी वर्ष 1984-85 में 150 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋणों, 14 करोड़ रुपये के मध्य-कालीन ऋणों तथा 27 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों के वितरण का लक्ष्य है। वर्ष 1984-85 के अन्त तक 95 प्रतिशत ग्रामीण कृषक परिवारों को सहकारिता के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है।

47. वर्ष 1984-85 में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एन. सी. डी. सी. III–प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वृहद् योजना हाथ में लिए जाने

का प्रस्ताव है जिसके अन्तर्गत कोटा में एक सोयाबीन तेल काम्पलेक्स एवं प्रोसेसिंग यूनिट, गंगानगर जिले में एक काटन काम्पलेक्स एवं राजस्थान के विभिन्न भागों में एक हजार ग्रामीण गोदामों का निर्माण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त शाहपुरा एवं आसिन्द में दो सहकारी कताई मिलों एवं तहसील माण्डलगढ़ में एक वनस्पति प्लान्ट की स्थापना की भी योजना है।

48. लघु और सीमान्त कृषकों, आई. आर. डी. हिताधिकारियों एवं ग्रामीण दस्तकारों के वे लोग जिन्होंने विगत वर्षों में सहकारिता के अल्पकालीन ऋण लिये थे और उन्हें वापिस चुकाने में असमर्थ रहे, जिसके परिणामस्वरूप उनके ब्याज और दण्डनीय ब्याज की रकम दिनांक 30 जून, 1983 को मूल ऋण की रकम से अधिक हो गई, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया था कि यदि मूल रकम व ब्याज की रकम दिनांक 30-11-83 तक चुका दी जायेगी तो मूलधन के बराबर की ब्याज की राशि को छोड़कर अतिरिक्त ब्याज की राशि अपलिखित कर दी जायेगी। यह सुविधा केवल एक ही बार देय होगी। राज्य सरकार ने अब निर्णय लिया है कि राशि जमा कराने की तिथि दिनांक 30-11-1983 से बढ़ाकर दिनांक 30-6-1984 कर दी जाय। यदि ऋणी ने ब्याज की रकम के कुछ भाग का भुगतान कर रखा है तो उसे उपरोक्तानुसार फलावट की हुई ब्याज की रकम में शामिल माना जायेगा।

भू-जल विकास :

49. वर्ष 1983-84 में राजस्थान जल साधन विकास निगम का गठन किया जा चुका है। यह निगम प्रारंभ में चुने हुए जिलों में भू-जल विकास तथा जलोत्थान के प्रोजेक्ट हाथ में लेगा। इसके लिए नाबार्ड से आवश्यक परामर्श कर लिया गया है और इस राष्ट्रीय बैंक ने निगम की साख की आवश्यकताओं की पूर्ति का आश्वासन दिया है। पाताल तोड़ कुएं, जलोत्थान के प्रोजेक्ट तथा जल साधन विकास के विभिन्न प्रोजेक्टों को सहकारिता की भावना से चलाने का जिम्मा लाभान्वित परिवारों का रहेगा। इस निगम के विकास के लिए वर्ष 1984-85 में 25 लाख रुपये की हिस्सा पूंजी का प्रावधान रखा गया है।

समाज कल्याण :

50. अनुसूचित जाति के परिवारों को योजना का लाभ पहुंचाने हेतु, अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना क्रियान्वित की जा रही है। छठी पंचवर्षीय योजना में 5 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक लगभग 3 लाख 95 हजार परिवारों को लाभान्वित किये जाने की संभावना है। वर्ष 1984-85 में इस योजना में विशेष केन्द्रीय सहायता सहित 55.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजस्थान अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न योजनायें प्रारंभ की गई हैं जिनसे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्व-रोजगार में सहायता प्रदान की जाती है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इस निगम द्वारा वर्ष 1984-85 में 3 हजार दुकानें आवंटित करने का प्रस्ताव है। राजस्थान विद्युत् मण्डल द्वारा वर्ष 1984-85 में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। विशेष पोषाहार कार्यक्रम एवं समेकित बाल विकास योजना पर वर्ष 1984-85 में 1.02 करोड़ रुपये का योजना व्यय प्रस्तावित है।

महिला विकास :

51. राज्य सरकार ने महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक सुगठित परियोजना बनाई है। इसमें चयनित

जिलों में महिला विकास अभिकरण स्थापित किए जायेंगे । प्रथम वर्ष में हर चयनित जिले में 100-100 महिला विकास केन्द्रों का गठन होगा । इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निर्धन वर्ग की महिलाओं के लिये आर्थिक विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि के कार्यक्रम आयोजित होंगे । हमारा विचार है कि इस प्रोजेक्ट के तहत चुने गये हर जिले में कम से कम 5000 महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा । इन कार्यक्रमों के लिये धन राशि मुख्यत: संयुक्त राष्ट्र की भारत में स्थित एजेन्सियों से प्राप्त होगी ।

जनजाति क्षेत्रीय विकास :

52. जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों के कल्याण के लिये वर्ष 1984-85 में 55.08 करोड़ रुपये के योजना व्यय का प्रावधान है । वर्ष 1984-85 में उपयोजना क्षेत्र में दो लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यमों से 189 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, पांच एनीकटों का निर्माण तथा 200 कुक्कुट पालन इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है । 30 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जायेंगी तथा 200 परिवारों को रेशम कीट पालन तथा 30 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा वानिकी कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित करने का प्रस्ताव है । एक सौ गांवों एवं 600 कुओं का विद्युतीकरण किया जायेगा । 2,14,600 जनजाति छात्र/छात्राओं को नि:शुल्क पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं पोशाकें देने का भी प्रस्ताव है ।

53. राज्य सरकार सिंचित क्षेत्रों के एकीकृत विकास के ऐसे कार्यक्रम तैयार कर रही है जिनसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को सीधा लाभ मिल सके । आगामी 2-3 वर्षों में लगभग 50 हजार व्यक्तियों को उद्योग आधारित रोजगार या स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परियोजनायें बनाई गई हैं । लघु वन उपज की अच्छी कीमत दिलाने तथा रतनजोत इत्यादि अन्य प्रकार के वृक्षों से रोजगार दिला कर जनजाति के व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया जायेगा ।

पंचायती राज :

54. निर्माण कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा सम्पादित कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दो लाख रुपये तक के कार्यों का सम्पादन ज्यादा से ज्यादा पंचायत समितियों द्वारा किया जावे । इसके लिये ग्रामीण क्षेत्रों के इन्जीनियरिंग परिवीक्षण को सुदृढ़ किया जायेगा ।

ग्रामीण विकास :

55. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने की दृष्टि से 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में सम्मिलित एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को राज्य सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देती है । वर्ष 1984-85 में 236 विकास खण्डों में 18.88 करोड़ रुपये के व्यय का लक्ष्य है जिससे 1.42 लाख परिवार लाभान्वित हो सकेंगे ।

56. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 62.40 लाख मानव दिवस का रोजगार इस वर्ष सृजित करने का लक्ष्य है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 800 स्कूल भवन, 214 पंचायतघर, 65 औषधालय, 554 पेय जल कुएं, 108 टैंक, 161 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें तथा 1002 अन्य कार्य पूरे किये गये हैं । वर्ष 1984-85 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 करोड़ रुपये विनियोजित करने का प्रस्ताव है जिससे लगभग 67 लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध होगा ।

57. ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 12 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण, भू-संरक्षण एवं लघु सिंचाई आदि कार्य शामिल किये जायेंगे। अब तक भारत सरकार द्वारा लगभग 13 करोड़ रुपये की परियोजनायें स्वीकृत हो चुकी हैं।

दस्तकारी प्रशिक्षण :

58. इस समय राज्य के 6 जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र नहीं हैं। वर्ष 1984-85 में जालौर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक तथा झालावाड़ जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है जिससे राज्य के समस्त जिलों में यह सुविधा उपलब्ध हो जावेगी।

अल्प बचत :

59. राज्य में वर्ष 1982-83 में अल्प बचत से 41.50 करोड़ रुपये के धन संग्रहण लक्ष्य के मुकाबले 53.37 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि एकत्रित हुई थी। इस वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ रुपये के संग्रहण का लक्ष्य है। अल्प बचत द्वारा विकास कार्यों के लिये धन संग्रहण में जन साधारण को प्रेरित करने की दृष्टि से जिस जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करली जाती है उस जिले को राज्य सरकार द्वारा एक प्रतिशत की दर से शुद्ध धन संग्रहण पर प्रोत्साहन स्वरूप राशि स्वीकृत की जाती है जो कि उस जिले के विकास कार्यक्रमों पर खर्च की जाती है।

राजकीय उपक्रम :

60. यह प्रसन्नता का विषय है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यक्षमता में अपेक्षित सुधार के परिणामस्वरूप निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष में अपने योजना व्यय के वित्त पोषण हेतु निगम 3.81 करोड़ रुपये की राशि का अंशदान कर पायेगा। 1984-85 में यह अंशदान 4.21 करोड़ रुपये होना अनुमानित है। वर्ष 1984-85 में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल के साधनों में 25.03 करोड़ रुपये की कमी अनुमानित है जिसका प्रावधान राज्य के बजट में प्रस्तावित है।

बिक्री कर का सरलीकरण :

61. राज्य सरकार ने राजस्व को बिना प्रभावित किये बिक्री कर के सरलीकरण हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

62. समिति की एक सिफारिश यह थी कि स्वयं कर निर्धारण प्रणाली में वार्षिक बिक्री सीमा को बढ़ाया जावे। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वयं कर निर्धारण प्रणाली के अन्तर्गत वर्तमान वार्षिक बिक्री सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी जाय। समिति की अन्य सिफारिशों पर भी राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेगी।

संशोधित अनुमान 1983-84 :

63. वर्ष 1983-84 में संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व प्राप्तियां 1148.83 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है जो कि 1086.29 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों की अपेक्षा 5.76 प्रतिशत अधिक है। राजस्व व्यय 1074.21 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के मुकाबले अब 1111.62 करोड़ रुपये होगा जो कि 3.48 प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार राजस्व खाते में 12.08 करोड़

रुपये की बचत के मुकाबले अब 37.21 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।

64. वर्ष 1983-84 में पूंजीगत प्राप्तियां 364.07 करोड़ रुपये अनुमानित थी जिनके अब बढ़कर 405.74 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पूंजीगत व्यय 419.99 करोड़ रुपये से बढ़ कर 473.95 करोड़ रुपये होगा। इस प्रकार पूंजी खाते में बजट अनुमानों के 55.92 करोड़ रुपये के घाटे की तुलना में अब 68.21 करोड़ रुपये की कमी रहेगी। राजस्व खाते की बचत से इस कमी को अंशत: पूरा करने के पश्चात् इस वर्ष शुद्ध घाटा 31 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। यह घाटा मुख्यतया राहत कार्यों पर हुए अधिक व्यय के कारण है।

बजट अनुमान 1984-85 :

65. वर्ष 1984-85 में राजस्व प्राप्तियां 1182.31 करोड़ रुपये अनुमानित हैं जबकि राजस्व व्यय 1270.59 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। अत: राजस्व खाते में 88.28 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। इस घाटे का मुख्य कारण राज्य सरकार द्वारा की जाने वाले ब्याज की अदायगियों में वृद्धि तथा राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का प्रावधान है।

66. वर्ष 1984-85 में पूंजीगत प्राप्तियां 436.62 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जबकि पूंजीगत व्यय 513.79 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। इस प्रकार पूंजी खाते में 77.17 करोड़ रुपये का घाटा होगा। राजस्व एवं पूंजी खाते के घाटे को जोड़ने पर इस वर्ष के अन्त में 165.45 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है।

67. वर्ष 1983-84 का घाटा 31 करोड़ रुपये का अनुमानित है। इस वर्ष के 26.07 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक घाटे को जोड़ने के पश्चात् वर्ष 1983-84 के अन्त में 57.07 करोड़ रुपये का समग्र घाटा अनुमानित है। इस घाटे को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार 47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करायेगी। इस प्रकार वर्ष 1983-84 के अन्त में 10.07 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा रहने का अनुमान है।

68. वर्ष 1983-84 के 10.07 करोड़ रुपये के घाटे को वर्ष 1984-85 के 165.45 करोड़ रुपये के घाटे में जोड़ने के पश्चात् वर्ष 1984-85 के अन्त में समग्र घाटा 175.52 करोड़ रुपये अनुमानित है।

69. माननीय सदस्यों को यह विदित है कि आठवें वित्त आयोग ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। हमने आठवें वित्त आयोग के समक्ष अपने दृष्टिकोण को पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया है। हमें आशा है कि राहत व्यय के वित्त पोषण के सम्बन्ध में वित्त आयोग सम्पूर्ण राशि को अनुदान के रूप में देने के हमारे आग्रह पर उचित निर्णय लेगा। हमने आयोग से यह अनुरोध किया है कि हमारे अनुत्पादक ऋणों को अपलेखित कर दिया जाए तथा अर्द्ध उत्पादक ऋणों की अदायगी अवधि बढ़ा दी जावे। महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों के चुकाने के कारण जो व्यय भार बढ़ता है उसके सम्बन्ध में भी उचित वित्तीय व्यवस्था प्रस्तावित करने का अनुरोध किया गया है जिससे कि राज्य के लिए छोड़े गये राजस्व अधिशेष में कमी नहीं आने पाये। मुझे आशा है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हमें केन्द्रीय करों के अंश में और अधिक हिस्सा प्राप्त हो सकेगा तथा ऋण भार में आवश्यक राहत भी हमें दी जायेगी। अत: मैं उपरोक्त 175.52 करोड़ रुपये के घाटे को अपूरित ही छोड़ने का प्रस्ताव करता हूं।

70. माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व की सामन्तवादी तथा परम्परावादी पृष्ठभूमि से निकल कर राजस्थान प्रदेश

ने कांग्रेस शासन में अपने पिछड़ेपन को दूर करने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा करने में हम निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की महान जनता ने इस गुरुतर काम में अपना आशीर्वाद और सहयोग हमें दिया है जिसके लिये हम उनके कृतज्ञ हैं । जहां हमने इन पिछले दशकों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है वहां लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं जिन्हें हमें यथासंभव पूरा करना है। युग परिवर्तनकारी हमारी भावी महत्त्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन का आधार जहां वित्तीय साधनों में यथोचित वृद्धि है वहां यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम निर्मित तथा उपलब्ध साधन स्रोतों का पूरा लाभ लेने की चेष्टा करें । 1985-86 से सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य प्रारम्भ होगा । हमें हमारी प्राथमिकताओं का निर्धारण तथा विकास की रणनीति निश्चित करने के लिए अगले वर्ष एक सुव्यवस्थित रूपरेखा तैयार करनी होगी। सरकार का यह प्रयत्न होगा कि सातवीं योजना की प्रस्तुति के लिए मूलभूत सामग्री का वैज्ञानिक संकलन तथा उसके उपयोग का प्रयास किया जाय । इसके लिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों, बुद्धिजीवियों, जन प्रतिनिधियों तथा इस कार्य में विशेष ज्ञान रखने वाले लोगों का भरपूर सहयोग सरकार प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी। हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना का आधार वास्तव में नीचे से बने, इस हेतु राजस्थान की सभी पंचायत राज्य संस्थाओं, नगरपालिकाओं तथा नगर परिषदों, स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे और इस आधार पर इंगित प्राथमिकताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण कर सही माने में जन आकांक्षाओं की योजना बनाने का प्रयत्न किया जायेगा ।

71. नये वर्ष का प्रारंभ हम इस संकल्प से करेंगे कि हमारा लक्ष्य विकास के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाकर राजस्थान की जनता के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास की यात्रा को सफल बनाना है। इस बड़े काम में हमें सभी का सहयोग मिलेगा ऐसी अपेक्षा है ।

72. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में वर्ष 1984-85 के बजट अनुमान सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं। सम्पूर्ण मांगों के पारित होने तक अप्रेल व मई, 1984 के लिये लेखानुदान पारित करने के प्रस्ताव भी सदन के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं।

जयहिन्द !